न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 34/2021

1. भालसिंह पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी पालडी त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. नत्थूराम पि0मु0 रामधन जाति जाट निवासी पालडी त0 भादरा।
2. बलवीर पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी पालडी त0 भादरा।
3. सुरेश कुमार पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी पालडी त0 भादरा।
4. हरदत पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी पालडी त0 भादरा।
5. रणजीत पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी पालडी त0 भादरा।
6. गुड्डी पत्नी महावीर प्रसाद पुत्री नत्थूराम जाति जाट निवासी पालडी त0 भादरा।
7. रचना पत्नी निहालसिंह पुत्री नत्थूराम जाति जाट निवासी पालडी त0 भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेन्द्र जाखल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रामजस गढवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा पालडी के खाता सं0 32/32 के खसरा सं0 8 की 7.3750है0, खसरा सं0 29 की 0.7720है0, खसरा सं0 32 की 0.4550है0, खसरा सं0 35 की 4.2880है0, खसरा सं0 109 की 3.6810है0, खसरा सं0 167 की 0.0250है0, खसरा सं0 169 की 0.3800है0, खसरा सं0 181 की 2.0110है0 कुल 18.9870है0 बारानी खातदेरी प्रतिवादी सं0 1 नत्थूराम के नाम से खातेदारी दर्ज है, में से अकेले नत्थूराम के बजाए वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 6 व 7 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी भालसिंह व प्रतिवादी सं0 1 नत्थूराम, प्रतिवादी सं0 2 बलवीर, प्रतिवादी सं0 3 सुरेश कुमार, प्रतिवादी सं0 4 हरदत, प्रतिवादी सं0 5 रणजीत को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया [illegible] पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक [illegible] एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:20:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)भादरा
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 34/2021

1. भालसिंह पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी पालडी त0 भादरा। **:–वादी**

ब ना म

1. नत्थूराम पि0मु0 रामधन जाति जाट निवासी पालडी त0 भादरा।
2. बलवीर पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी पालडी त0 भादरा।
3. सुरेश कुमार पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी पालडी त0 भादरा।
4. हरदत पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी पालडी त0 भादरा।
5. रणजीत पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी पालडी त0 भादरा।
6. गुड्डी पत्नी महावीर प्रसाद पुत्री नत्थूराम जाति जाट निवासी पालडी त0 भादरा।
7. रचना पत्नी निहालसिंह पुत्री नत्थूराम जाति जाट निवासी पालडी त0 भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा। **:– प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : **घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती**

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री राजेन्द्र जाखल**: वादी**

वकील श्री रामजस गढवाल **: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 30.06.21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा पालडी के खाता सं0 32/32 के खसरा सं0 8 की 7.3750है0, खसरा सं0 29 की 0.7720है0, खसरा सं0 32 की 0.4550है0, खसरा सं0 35 की 4.2880है0, खसरा सं0 109 की 3.6810है0, खसरा सं0 167 की 0.0250है0, खसरा सं0 169 की 0.3800है0, खसरा सं0 181 की 2.0110है0 कुल 18.9870है0 बारानी खातदेरी प्रतिवादी सं0 1 नत्थूराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता रामधन की खातेदारी हुआ करती थी। रामधन से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 नत्थूराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तंन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखारमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 7 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं 8 स्टेट की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण [illegible] किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:20:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)भादरा

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु भालसिंह पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी पालडी के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि रोही पालडी संवत 2073–76 खाता सं0 32/32 प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम पालडी संवत 2013 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भाडी प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने पालडी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 3 में वारिसप्रमाण पत्र में नत्थूराम के छः पुत्र स्व0 शेरसिंह (लाऔलाद मृत्यु हो चुकी है जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र दावा सलंग्न है।) बलवीर, सुरेश कुमार, भालसिंह, हरदत व रणजीत व दो पुत्री गुड्डीदेवी व रचना के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मोजा पालडी के खाता सं0 32/32 के खसरा सं0 8 की 7.3750है0, खसरा सं0 29 की 0.7720है0, खसरा सं0 32 की 0.4550है0, खसरा सं0 35 की 4.2880है0, खसरा सं0 109 की 3.6810है0, खसरा सं0 167 की 0.0250है0, खसरा सं0 169 की 0.3800है0, खसरा सं0 181 की 2.0110है0 कुल 18.9870है0 बारानी खातदेरी प्रतिवादी सं0 1 नत्थूराम के नाम से खातेदारी दर्ज है, में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादी सं0 6 व 7 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा पालडी के खाता सं0 32/32 के खसरा सं0 8 की 7.3750है0, खसरा सं0 29 की 0.7720है0, खसरा सं0 32 की 0.4550है0, खसरा सं0 35 की 4.2880है0, खसरा सं0 109 की 3.6810है0, खसरा सं0 167 की 0.0250है0, खसरा सं0 169 की 0.3800है0, खसरा सं0 181 की 2.0110है0 कुल 18.9870है0 बारानी खातदेरी प्रतिवादी सं0 1 नत्थूराम के नाम से खातेदारी दर्ज है, में से अकेले नत्थूराम के बजाए वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 6 व 7 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी भालसिंह व प्रतिवादी सं0 1 नत्थूराम, प्रतिवादी सं0 2 बलवीर, प्रतिवादी सं0 3 सुरेश कुमार, प्रतिवादी सं0 4 हरदत, प्रतिवादी सं0 5 रणजीत को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.06.21 को ... लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:20:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner